राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 1856 40/76/एक/2018–19 दिनांक: 07 जुलाई 2018

सेवा में,

उपाध्यक्ष
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर

विषय– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी मिशन) के उपघटक भागीदारी में किफायती आवास निर्माण एवं आवास विस्तार (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 87 दिनांक 15.05.2018 एवं पत्र सं0 88 दिनांक 15.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के उपघटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं आवास विस्तार (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत क्रमशः रामगंगा एनक्लेव के 576 भवनों एवं महावीर विस्तार योजना के निर्माणाधीन 5040 भवनों की प्रथम किश्त धनराशि रू0 5.76 करोड एवं 50.40 करोड कुल 5616 भवनों हेतु धनराशि रू0 56.16 करोड (रू0 छप्पन करोड सोलह लाख मात्र) प्राधिकरण के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है । तृतकम में प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 249 दिनांक 22.05.2018 के माध्यम से जनपद पर खोले गये बचत खाता जिसकी सूचना अभिकरण को उपलब्ध करायी गयी है जो पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रर्ड हैं में निम्न विवरणानुसार धनराशि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से अन्तरित की जा रही है:–

(धनराशि रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवासों की संख्या				अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (प्रति आवास रू0 250000/– का 40 प्रतिशत जिसमें केन्द्राश एवं राज्यांश सम्मिलित है)	बैंक का नाम	खाता संख्या
		सा0वर्ग	अनु0वर्ग	अनु0जनजाति	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामगंगा एनक्लेव कानपुर	504	71	01	576	57600000	HDFC BANK KANPUR	No.50100234328241
2	महावीर विस्तार योजना कानपुर	4413	622	05	5040	504000000		
	Total	4917	693	6	5616	561600000		

अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाये।

1– अवमुक्त की जा रही अनुदान की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत मार्च 2015, मार्च 2016 एवं समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ही नियमानुसार उपयोग किया जाये।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

2– प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 162/2016/623/69–1–16–14(139) /2015 टीसी दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है किसी भी दशा में व्ययवर्तन मान्य नही होगा तथा धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है एवं सूडा की वेबसाइड पर भी अपलोड है।

4– **उपरोक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का वर्गवार स्वीकृत आवासों की अंकित संख्या के कम में धनराशि के उपयोग का भी ध्यान रखा जाये तथा वर्गवार (सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग एवं अनु0जनजाति वर्ग) का प्राधिकरण के अभिलेखों में लेखांकन भी कराने का कष्ट करें ।**

5– योजना की भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के दिशा–निर्देश की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न ।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

संलग्नक–यथोपरि

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–

1– अधिशाषी निदेशक आवास बन्धु प्रथम तल, जनपद मार्केट, लखनऊ
2– अपर निदेशक/निदेशक महोदय
3– कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
4– श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0 अधिकारी/वेबमास्टर/अनिल कुमार सिंह, सहायक सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

अनुलग्नक 8
(दिशानिर्देश का पैरा 14.6)

प्रपत्र सामान्य वित्त नियम 19–क
[नियम 212 (1) देखें]
उपयोग प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे तालिका में दिए गए इस मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या के अंतर्गत ———— के पक्ष में वर्ष ———— के दौरान स्वीकृत ———— सहायता अनुदान की धनराशि में से और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष धनराशि का उपयोग ———— के उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसकी स्वीकृति दी गई थी और यह कि ———— अव्ययित शेष धनराशि का उपयोग वर्ष के अंत में किया जाएगा, सरकार को (दिनांक ———— के पत्र सं. ———— के तहत) वापस किया गया है/अगले वर्ष के दौरान अनुदान सहायता के लिए भुगतान हेतु समायोजित किया जाएगा।

क्र.सं.	पत्र सं. और तिथि	धनराशि
	कुल:-	

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित कवायदें की हैं कि धनराशि का उपयोग वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत था।

3. परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति जहां भारत सरकार के अनुदानों का उपयोग किया गया है संलग्न है।

जांच कवायदों के प्रकार

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर* ————
पद ————
दिनांक ————

* [illegible] संबंधित विभाग के मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

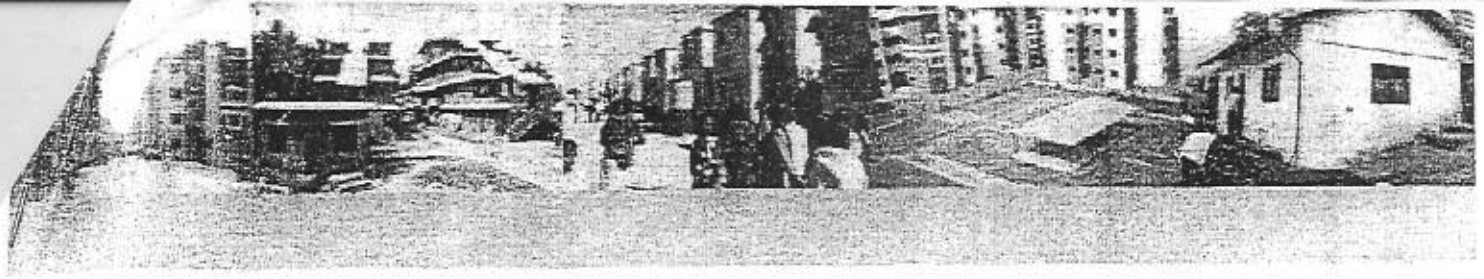

प्रधानमंत्री आवास योजना

सबके लिए आवास (शहरी)

स्कीम दिशानिर्देश

मार्च, 2016

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

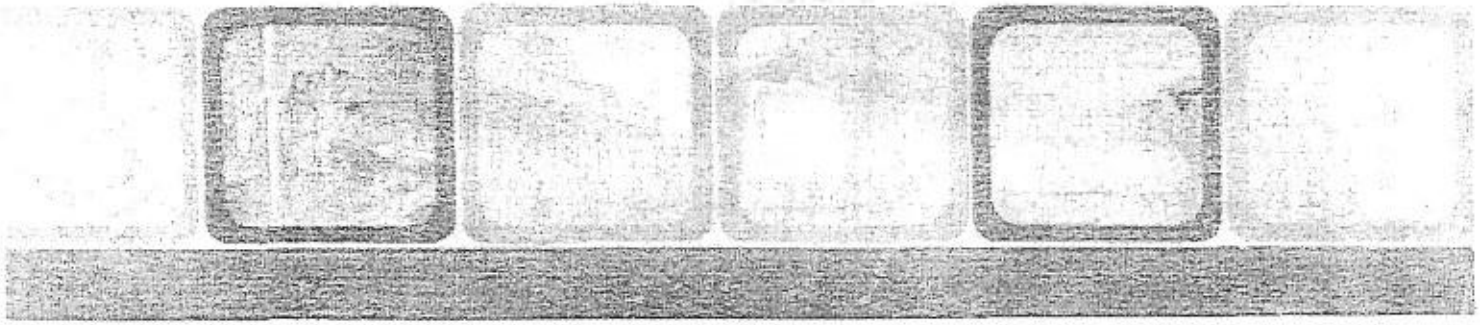

6. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)

भागीदारी में किफायती आवास मिशन का तीसरा घटक है । यह एक आपूर्ति आधारित व्यवस्था है । यह मिशन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरों द्वारा विभिन्न भागीदारी से बनाए जा रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आवासों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ।

6.1 किफायती दर पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अपनी एजेंसियों अथवा उद्योगों सहित निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के माध्यम से, किफायती आवास परियोजनाओं की योजना तैयार कर सकते हैं । ऐसी परियोजनाओं में 1.5 लाख रु. की दर से केन्द्रीय सहायता सभी ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए उपलब्ध होगी ।

6.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लक्षित लाभार्थियों के लिए किफायती तथा लेने योग्य बनाने के लक्ष्य के साथ ऐसी परियोजनाओं में कारपेट क्षेत्र प्रति वर्ग मी. रूपए में ईडब्ल्यूएस आवासों के विक्रय मूल्य पर ऊपरी सीमा का निर्णय करेंगे । इस प्रयोजनार्थ, राज्य और शहर अन्य रियायतों जैसे कि – उनकी राज्य सब्सिडी, किफायती लागत पर भूमि, स्टाम्प शुल्क छूट आदि को बढ़ा सकते हैं ।

6.3 निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए परियोजना आधार अथवा शहर आधार पर विक्रय मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है;

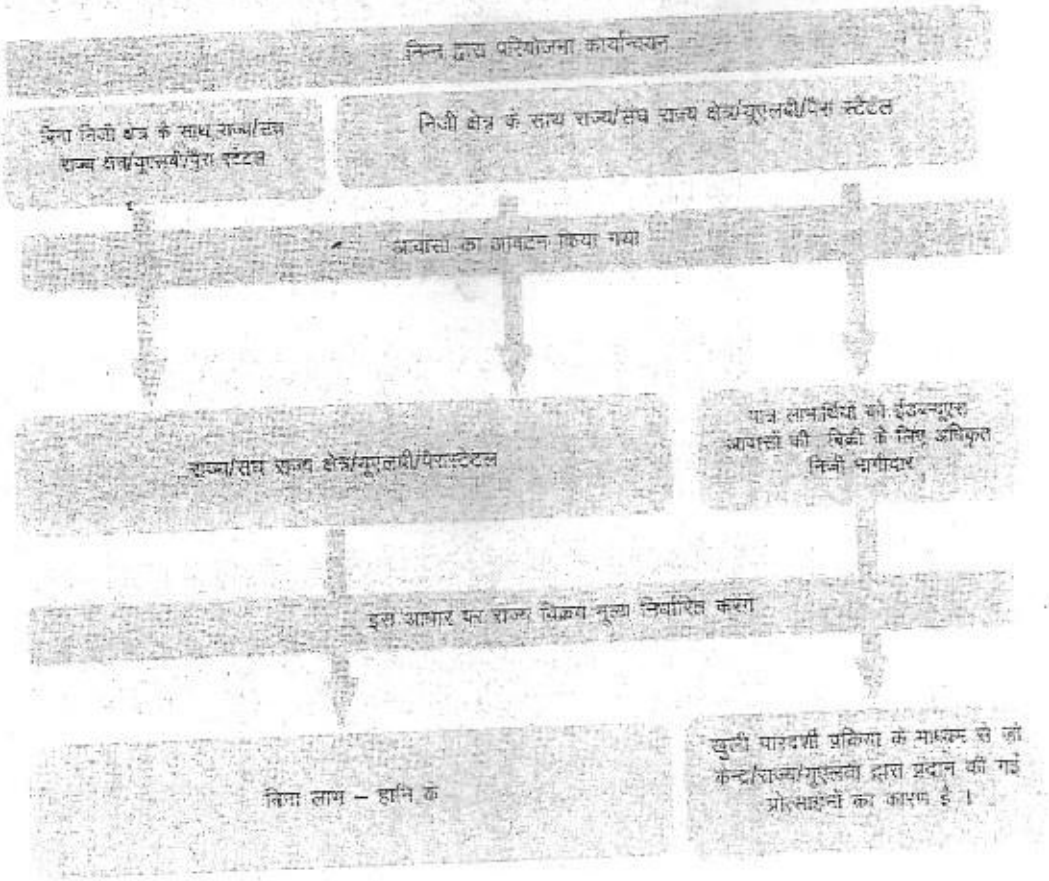

6.4 किफायती आवास परियोजना विभिन्न श्रेणियों के लिए आवासों का योग हो सकता है परंतु यह केन्द्रीय सहायता का पात्र तभी होगा, यदि परियोजना में आवासों का कम से कम 35% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए हो तथा एक परियोजना में कम से कम 250 आवास हों । तथापि, सीएसएमसी राज्य सरकार के अनुरोध पर एक परियोजना में आवासों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता को कम कर सकता है ।

6.5 एएचपी परियोजनाओं में विन्हित पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन एसएलएसएमसी द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जाना चाहिए तथा चयनित लाभार्थी एचएफएपीओए का हिस्सा हों । आवंटन में प्राथमिकता शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, तृतीयलिंगी तथा समाज के अन्य कमजोर तथा उपेक्षित वर्गों को दी जाए । आवंटन करते समय, अशक्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों को प्राथमिक रूप से भूतल अथवा नीचे तलों पर आवासों का आवंटन किया जाए ।

6.6 संबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार ऐसी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एसएलएसएमसी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ।